374
30/10/14

30/10

फैक्स/ई–मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद – 1

संख्याःबारह–28(आवास भत्ता–निर्देश)–2014, दिनांकःअक्टूबर 28,2014

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : **वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।**

कृपया पुलिस मुख्यालय के परिपत्र बारह–28(आवास भत्ता–निर्देश)–2011 दिनांक 08–03–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–जी–1–953/दस–2008–203/99, दिनांक 08–12–2008 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2– उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश संख्या–जी–1–953/दस–2008–203/99, दिनांक 08–12–2008 के प्रस्तर–6 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, कि **"संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा, जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा, जो किराये के मकान में रहते हैं अथवा अपने निजी आवास में निवास करते हैं।"** पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देश के पश्चात् भी उक्त शासनादेश दिनांक 08–12–2008 में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्परूप मकान किराया भत्ता भुगतान न होने की स्थिति में पुलिस कर्मियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, जिससे विभाग के समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है।

3– कृपया मकान किराया भत्ता भुगतान सम्बन्धी मामलों में उक्त शासनादेश संख्या–जी–1–953/दस–2008–203/99, दिनांक 08–12–2008 के प्रस्तर–6 में निहित निदेशानुसार पुलिसकर्मियों से निर्धारित प्रारूप (प्रारूप संलग्न) में प्रमाणपत्र प्राप्त करके कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

28/10/14

(डा0 सूर्य कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद

शासनादेश संख्याःजी–1–1795/दस–81–209–81, दिनांक 15–12–1981 के अनुसार सरकारी सेवकों द्वारा मकान किराया भत्ता के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र

(किराये के मकान में रहने वाले सरकारी सेवकों के लिये)

(1) मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी निवास–गृह के लिये आवेदन पत्र दिया है लेकिन उस अवधि के दौरान, जिसके संबंध में यह भत्ता मांगा गया है, मुझे ऐसा निवास–गृह नहीं दिया गया है।

(2) मैं प्रमाणित करता हूँ कि मै मकान किराये के रूप में कुछ व्यय वहन कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर
पदनाम

(ऐसे सरकारी सेवकों के लिये जो तैनाती के नगर में निजी या परिवार के किसी सदस्य के अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के मकान में रहते हैं)

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं एक ऐसे मकान में रह रहा हूँ जिसका मालिक मैं हूँ/मेरी पत्नी/मेरे पति/मेरे पुत्र/मेरी पुत्री/मेरा पिता/मेरी माता है, जो मेरे ऊपर आश्रित है, हिन्दू अविभाजित परिवार है, जिसका/जिसकी मैं एक सहभागी हूँ।

हस्ताक्षर
पदनाम